बी०सी०सी०एल० खानों में गैर-सरकारी ठेकेदारों को हटाया जाना

*5. **श्री राम अवधेश सिंह :** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा विभाग ने गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा राजकोष की लूट को रोकने के लिए बी०सी०सी०एल० खानों में कोयला परिवहन, रेत की आपूर्ति, परिवहन द्वारा पेयजल की आपूर्ति आदि जैसे सभी कार्य करने का निर्णय किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उस निर्णय को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) इस बारे में एक नीति संबंधी निर्णय पहले से ही विद्यमान है कि जहां तक संभव हो, स्थायी तथा बारहमासी प्रकृति के कार्यों को केवल विभागीय आधार पर कराया जाए और संविदाएं केवल तदर्थ तथा आवर्तक प्रकृति के आपातिक कार्यों के लिए दी जाएं।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित विभिन्न कार्यों के संबंध में प्राप्त की गई विभागीय उपलब्धि की प्रतिशतता को नीचे दिया गया है :-

(1) कोयला का परिवहन

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोलियरीज में कोयले का लगभग 84 प्रतिशत आन्तरिक परिवहन कंपनी के अपने नेटवर्क परिवहन के माध्यम से किया जाता है; अन्य 3 प्रतिशत परिवहन सहकारी समितियों के माध्यम से और बकाया निजी संविदाकर्ताओं के माध्यम से किया जाता है।

(2) रेत का परिवहन

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिए भराई के लिए रेत तथा अन्य प्रयोजनों से रेत की आवश्यकता प्रतिवर्ष 3 मिलियन क्यूबिक मीटर आंकी गई है। इसमें से लगभग 19 प्रतिशत रेत का परिवहन कंपनी के ट्रकों तथा ग्रहीत रोपवेज; 17.50 प्रतिशत रेत का परिवहन सहकारी समितियों द्वारा तथा बकाया 63.50 प्रतिशत का परिवहन निजी संविदाकर्ताओं द्वारा किया जाता है। रेत के परिवहन को बड़े पैमाने पर विभागीयकृत करने के मामले को विभिन्न कारणों से व्यवहारिक तथा किफायती नहीं पाया गया है।

(3) पेय जल की आपूर्ति

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड पास अपनी एकीकृत जल आपूर्ति योजना के माध्यम से पेय जल की आपूर्ति किए जाने की व्यवस्था है। किन्तु कभी-कभी जब अधिक गर्मी के मौसम में अस्थायी जल की मांग में वृद्धि हो जाती है तो उस समय संविदा के आधार पर निजी जल के टैंकरों द्वारा जल की आपूर्ति में वृद्धि की जाती है। किन्तु इस मद पर अधिक व्यय नहीं आया है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने वर्ष 1988-89 के दौरान इस मद पर केवल लगभग 20 लाख रुपए की राशि खर्च की चूंकि इस प्रकार का कार्य पूर्णतः मौसमी तथा तदर्थ प्रकृति का है अतः इसे पूरी तरह से विभागीयकृत करना संभव नहीं है

Price Decontrol on Drugs

*9. SHRI DHULESHWAR MEENA:
DR. (SHRIMATI) SARJINI MAHISHI:

Will the Minister of 1NDUSTI be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Kell Committee has recommended pr decontrol on drugs having sales over of rupees fifty lac or less;

(b) if so, how many of the drugs are still in the Drugs Pri